

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

संया में,

किंडर्स किंगडम स्कूल,
मोहम्मदपुर सहरोज, कोपागंज, मऊ।

पत्रांक : ५०७-१० / 2014-15

दिनांक : २५/२/२०१५

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।
महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ परचात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं किंडर्स किंगडम स्कूल, मोहम्मदपुर सहरोज, कोपागंज, मऊ को तारीख 31.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंति मान्यता प्रदान करने की संमूच्यना देता हूँ।

उपरोक्त मञ्जूरी निम्नलिखित रास्तों के पूरा किए जाने के अध्यादीन है:-

1. मान्यता की मञ्जूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधान करने के लिए योग्य व्याध्यता विवरित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या पश्चात्वर्ती, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पठोरा के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूर्वित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्विता प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक घैंक खाता रखेगा।
5. सोराहटी/विद्यालय किसी कौपिटैशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकार को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यादीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय निर्सी बालक को उसकी आयु का सदृश न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपर्योग का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक ढड़ या मानसिक उत्पीड़न के अध्यादीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ;
 - (5) अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशक्तिता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ;
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे ;
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ; और
 - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियमों की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल


कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीड़ा-रथल का क्षेत्रफल

For Kids Kingdom Senior Secondary School


X

Director


Principal
Kids Kingdom Sr. Sec. School
Mau

- कक्षाओं की संख्या
प्रधापक—सह कार्यालय—सह भाड़ागार के लिए कक्ष
वालक और वालिकाओं के लिए पृष्ठक शोचालय
पेयजल सुविधा
मिड-हे-मील पकाने के लिए रसोई
वाधारहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलबूल उपरकरण/पुरतकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएं।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या ब्रीड़ा—रथल का प्रयोग घोवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. रखूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूल या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित यथा कोड संख्याक..... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु या विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्नक उपावध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय .

 25/12/2014

(राकेश कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी

मऊ।  25/12/2014

पृ०स०/ ————— /2014-15 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- सचिव, उठप्र० वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, कोपागंज, मऊ।

(राकेश कुमार)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

For Kids Kingdom Senior Secondary School



Director


Principal
Kids Kingdom Sr. Sec. School
Mau